न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रा0पत्र 13/2019

प्रार्थीः—

1. श्री वरदाराम पुत्र श्री चतराराम उम्र 69 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी एन्दलावास तहसील पाली जिला पाली

बनाम अप्रार्थीगणः—

1. श्री प्रकाश गोद पुत्र श्री वरदाराम जायंदा पुत्र श्री चेलाराम जाति मेघवाल उम्र 27 वर्ष मो.नं. 9898319014
2. श्रीमति सोनीया पत्नी श्री प्रकाश जाति मेगवाल,
3. चेलाराम पुत्र चतराराम जाति मेगवाल निवासी एन्दलावास, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी अमराईवाडी पोस्ट ऑफीस के सामने, गजरो बाई की चाली के पीछे, अहमदाबाद (गुजरात) मोबाईलत नम्बर 9824079917

उपस्थितिः—

1. श्री वरदाराम, प्रार्थीया।
2. श्री प्रकाश, चेलाराम, अप्रार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 5 माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

—:निर्णयः— दिनांक 16—01—2020

1. प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेंदन किया कि प्रार्थी की पत्नी का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थी के जायंदा पुत्र पुत्री नहीं है। इसी कारण प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 3 चेलाराम व प्रकाश ने प्रार्थी को भरण पोषण, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करने के हेतु बड़ी बड़ी बाते की तथा प्रार्थी को इस बात के लिये उत्साहित किया कि वह अपने जीवन काल में अप्रार्थी प्रकाश को गोद ले लेवे उस वक्त प्रकाश की पत्नी सोनीया ने सभी ने मिलकर यह कहा कि हम प्रार्थी की ताउम्र सेवा चाकरी करेंगे तथा खाने पीने दवाई दारू की व्यवस्था करेंगे लेकिन प्रार्थी से उक्त तीनों अप्रार्थीगण मिलकर बड़ी बड़ी बाते करके प्रार्थी से अप्रार्थी प्रकाश को गोद की लिखापढ़ी करवा दी तथा उक्त गोदनामा पंजियन करवा दिया। उक्त दस्तावेज 2016 मे निष्पादित करवाया गया। प्रार्थी के नाम से आबादी ऐन्दलावास मे एक मकान हैं साथ ही कृषि भुमि के खसरा नम्बर 1061/315 रकबा 10 बीघा मे से 1/4 हिस्सा अर्थात ढाई बीघा, इसी तरह खसरा नम्बर 797/315 रकबा 15 बीघा मे से 3 बीघा 15 बिस्व भुमि प्रार्थी की खातेदारी की हैं उक्त भुमि पर भी प्रार्थी को अप्रार्थी काश्त करने नही दे रहे हैं तथा अप्रार्थी ने मोहन भाट को प्रार्थी की सहमति के बिना ही काश्त करने हेतु दे दी अब प्रार्थी को अप्रार्थी न तो भरण पोषण दे रहा है न ही दवा दारू

Rohit
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

इत्यादि की व्यवस्था कर रहे है ओर न ही कोई देखरेख कर रहे है। प्रार्थी ने मोहन भाट को उसकी भुमि पर काश्त करने से मना किया तो मोहन कहता है कि उसको तो अप्रार्थीगण ने हासल पर दे रखी है। प्रार्थी की उक्त भुमि विवाद मे डाल दी ओर न तो उक्त भुमि पर प्रार्थी को काश्त करने देते है न ही अप्रार्थीगण भरण पोषण की राशि दे रहे है। प्रार्थी की सेवा चाकरी करने वाला कोई नही है प्रार्थी को आज भी इस उम्र मे रोटी खुद द्वारा बनानी पड़ती है तथा पानी भी प्रार्थी को ही भरना पड़ता हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को आज दिन तक भरण पोषण या अन्य किसी रूप मे एक रूपया भी नहीं दिया। प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से उसकी सम्पत्ति कर कब्जा जमाने की नियम से एवं मालिक बनने की नियम से छल कपट कर गोदनामा करवाया है उक्त गोदनामे को निरस्त किया जावें। अप्रार्थीगण सभी गांव एन्दलावास व अहमदाबाद में शामिल रहते है ओर कपड़े का व्यापर करते है तथा कपड़े की बड़ी दुकान हैं। प्रार्थी के पास न तो अप्रार्थीगण आते है न ही सेवा चाकरी करते है बल्कि जिस कृषि भुमि से प्रार्थी अपनी रोजी रोटी चलाता था उस कृषि भुमि पर भी अप्रार्थीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। ऐसी सुरत मे प्रार्थी से छल कपट से कराया गया गोदनामा अप्रार्थी प्रकाश के नाम से निष्पादित किया हुआ है उसे निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करावे कि प्रार्थी की कृषि भुमि व मकान पर किसी प्रकार का उपयोग व उपभोग मे कोई बाधा या अड़चन नहीं डाले। प्रार्थी 100 वर्ष पुगन के बाद मे अपनी उक्त जमीन गौशाला मे दे देगा या समाज मे दे देगा। लेकिन अप्रार्थीगण को किसी तरीके से कोई हक अधिकार पैदा न हो ऐसा आदेश फरमावें। अप्रार्थीगण पहले भी संयुक्त रूप से रहते थे तथा आज भी रहते एवं व्यापार करते है। अप्रार्थी चेलाराम अहमदाबाद मे बिल्डकर है जो बड़े बड़े ठेके लेता है तथा अप्रार्थी प्रकाश व सोनीया कपड़े का शो रूम व दुकान अहमदाबाद मे चलाते है। गांव ऐन्दलावास मे पक्का मकान 2002–2003 में बनाया उस वक्त प्रार्थी ने मजदुरी व चौकीदारी तब अप्रार्थी ने दिन व रात के 400 रूपयें प्रतिदिन मजदुरी तय की थी। 11 माह तक काम चला 12000 गुणा 11 माह कुल 1,32,000/– रूपये आज भी प्रार्थी अप्रार्थी मे मांगता है। पाली नया बस स्टेण्ड के पीछे, गौ शाला रोड़ पर वर्ष 2016–2017 में तीनखण्ड का पक्का मकान बनाया उस वक्त अप्रार्थी ने प्रार्थी को मज़दुरी मय चौकीदार की जिससे प्रत्येक दिन के 500 रूपये तय किये गये। एक वर्ष छः माह तक काम चला इस प्रकार 2,70,000/– रूपये आज भी प्रार्थी के अप्रार्थी मे बकाया है। प्रार्थी द्वारा रात दिन चौकीदारी करने से खर्च के पैसे (रोटी) देता था। उक्त दोनो मकान अप्रार्थी ने किराये पर दे रखे है। अप्रार्थीगण प्रतिदिन लाखो रूपयो का लेन देन करते हैं तथा अप्रार्थीगण की माहवारी आय खर्चा निकालकर लगभग 5 लाख रूपये कमा लेते है लेकिन प्रार्थी को दर दर की ठोकरे खाने हेतु मजबुर कर रहे है। प्रार्थी से अप्राथीगण ने बहला फसलाकर प्रकाश के पक्ष मे जो गोदनामा करवाया है उक्त गोदानामे को ही निरस्त फरमावें। अप्रार्थीगण से मुकदमे के विचारण के दौरान जब तक गोदनामा निरस्त नही होता है तब तक अप्रार्थीगण से प्रार्थी को रहने, बिजली पाली, दान दक्षिणा हेतु कम से कम 18,000/– रूपये प्रतिमाह दिलाये जावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये।

Rahul
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अंकित तथ्य गलत है कि प्रार्थी की पत्नी का देहान्त हो चुका हो अपित प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी के साथ रहवास नही करती हैं। यह सही है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को गोदनामा निष्पादित कर वर्ष 2016 मे गोद लिया था किन्तु यह गलत है कि अप्रार्थी के प्राकृतिक पिता चेलाराम एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी सोनीया ने मिलकर प्रार्थी को भरण पोषण, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करके बड़ी बड़ी बाते करके गोदनामा लेने हेतु उत्साहित किया हो अपितु प्रार्थी वर्ष 2006 से अप्रार्थीगण के मकान मे रहवास करते थे एवं उनका भरण पोषण भी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा किया जाता था। प्रार्थी के कृषि भुमि खसरा नम्बर 1061/315 रकबा 10 बीधा मे से एक चौथाई हिस्सा एवं खसरा नम्बर 797/315 रकबा 15 बीघा व खसरा नम्बर 950/315 रकबा 15 बीघा व खसरा नम्बर 950/344 रकबा 2.10 बीघा आया हुआ हैं जिस पर प्रार्थी के मालिकाना हिस्से पर प्रार्थी स्वयं द्वारा काश्त करवाकर उसकी कमाई प्राप्त कर रहा है। उक्त प्रार्थी की भुमि पर अप्रार्थीगण का कोई काश्त नहीं है न ही अप्रार्थीगण द्वारा उनको काश्त करने से रोका गया हैं। आबादी गांव एन्दलावास मे एक मकान प्रार्थी का आया हुआ है। जिस पर उसके भाई वेनाराम ने कब्जा कर लिया है। अप्रार्थीगण को जानकारी हुई है कि वेनाराम द्वारा अपने नाम का पट्टा बना दिया है। प्रार्थी वरदाराम वर्तमान मे वेनाराम के यहा ही आता जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का गोदी पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता का भरण पोषण करने हेतु तैयार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान मे अहमदाबाद मे रहता है एवं नो लिमिट एन.एक्स मे 10,000/– रूपये प्रतिमाह से नौकरी करता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता को अपने साथ अहमदाबाद ले जाने को तैयार हैं एवं उसकी सेवा चाकरी करने को भी तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 की माता उषा पत्नी चेलाराम का एक मकान पाली मे 29 गुलाब नगर, केशव गौशाला रोड़ पर आया हुआ हैं। जिसमे दो दुकान बनी हुई है उसमे से एक दुकान मे कैलाश गुर्जर पुत्र श्री देवाराम जी बागड़िया किरायेदार है वह 2016 से 2200 रूपये प्रतिमहा किराये एवं 2018 से 2500 रूपये किराया अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के कहे अनुसार प्रार्थी को अदा कर रहा हैं। इसी प्रकार दुसरी दुकान मे राजाराम बी साउण्ड के रूप मे किरायेदार था। उसका किराया भी 2018 से 2500 रूपयें आता था वह भी किराया अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के कहे अनुसार प्रार्थी को अदा किया जाता था किंतु वर्तमान में उक्त दुकान उसने खाली कर दी है इस कारण उक्त किराये की राशि वर्तमान मे प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो रही है व वर्तमान प्राथी एक फैक्ट्री मे नौकरी करता है वहा से वह 8000 रूपये कमाता है। अप्रार्थी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 रेडीमेंड स्टोर पर नौकरी करता है। अप्रार्थीगण ने कृषि भुमि पर कभी कब्जा करने का प्रयार नहीं किया न ही छल कपट से गोदनाम तैयार करवाया न ही अप्रार्थीगण उनकी सम्पत्ति का उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा करने मे कोई अड़चन डाल रहे है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा कभी कोई नौकरी पर नही रखा गया न ही मजदुरी व चौकीदारी करवाई न ही कोई राशि देना तय हुआ था। प्रार्थी द्वारा अपने भाई वेनाराम के कहने से गलत, झूठे व बेबुनियाद कथन किये है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का गोदी पुत्र हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता का मान सम्मान करता है उन्हे अपने साथ रखना चाहता है। एवं उनका भरण पोषण करना चाहता है किन्तु प्रार्थी स्वयं की हठधर्मिता के कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 के साथ

Rahul
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

रहवास नही करता है न ही प्रार्थी के एन्दलावास मे स्थित मकान मे रहवास करने देता हैं। वह स्वयं अपनी कृषि भुमि का कार्य कर आय अर्जित करता है उसमे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी दखलन्दाजी नही की। प्रार्थी अपने भाई वेनाराम के बहकावे मे आकर सम्पत्ति हड़पने की नियम से अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ गलत व झूठी कार्यवाही प्रस्तुत करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी रहना चाहता है तो वह अपनी नौकरी छोड़कर एन्दलावास मे आकर रहने को तैयार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भुमि पर काश्त करने को भी तैयार है।

4. उभयपक्ष को सुना गया।

5. प्रार्थी ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि प्रार्थी की पत्नी का देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थी के जायंदा पुत्र पुत्री नहीं है। इसी कारण प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 3 चेलाराम व प्रकाश ने प्रार्थी को भरण पोषण, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करने के हेतु बड़ी बड़ी बाते की तथा प्रार्थी को इस बात के लिये उत्साहित किया कि वह अपने जीवन काल में अप्रार्थी प्रकाश को गोद ले ले वो उस वक्त प्रकाश की पत्नी सोनीया ने सभी ने मिलकर यह कहा कि हम प्रार्थी की ताउम्र सेवा चाकरी करेंगे तथा खाने पीने दवाई दारू की व्यवस्था करेंगे। लेकिन प्रार्थी से उक्त तीनों अप्रार्थीगण मिलकर बड़ी बड़ी बाते करके प्रार्थी से अप्रार्थी प्रकाश को गोद की लिखापढ़ी करवा दी तथा उक्त गोदनामा पंजियन करवा दिया। उक्त दस्तावेज 2016 मे निष्पादित करवाया गया। प्रार्थी के नाम से आबादी ऐन्दलावास मे एक मकान हैं साथ ही कृषि भुमि के खसरा नम्बर 1061/315 रकबा 10 बीघा मे से 1/4 हिस्सा अर्थात ढाई बीघा, इसी तरह खसरा नम्बर 797/315 रकबा 15 बीघा मे से 3 बीघा 15 बिस्व भुमि प्रार्थी की खातेदारी की हैं उक्त भुमि पर भी प्रार्थी को अप्रार्थी काश्त करने नही दे रहे हैं तथा अप्रार्थी ने मोहन भाट को प्रार्थी की सहमति के बिना ही काश्त करने हेतु दे दी अब प्रार्थी को अप्रार्थी न तो भरण पोषण दे रहा है न ही दवा दारू इत्यादि की व्यवस्था कर रहे है ओर न ही कोई देखरेख कर रहे है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से उसकी सम्पत्ति कर कब्जा जमाने की नियम से एवं मालिक बनने की नियम से छल कपट कर गोदनामा करवाया है उक्त गोदनामे को निरस्त किया जावें। अप्रार्थीगण सभी गांव एन्दलावास व अहमदाबाद में शामिल रहते है ओर कपड़े का व्यापर करते है तथा कपड़े की बड़ी दुकान हैं। प्रार्थी के पास न तो अप्रार्थीगण आते है न ही सेवा चाकरी करते है बल्कि जिस कृषि भुमि से प्रार्थी अपनी रोजी रोटी चलाता था उस कृषि भुमि पर भी अप्रार्थीगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। ऐसी सुरत मे प्रार्थी से छल कपट से कराया गया गोदनामा अप्रार्थी प्रकाश के नाम से निष्पादित किया हुआ है उसे निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करावे कि प्रार्थी की कृषि भुमि व मकान पर किसी प्रकार का उपयोग व उपभोग मे कोई बाधा या अड़चन नहीं डाले। प्रार्थी 100 वर्ष पुगने के बाद मे अपनीं उक्त जमीन गौशाला मे दे देगा या समाज मे दे देगा। लेकिन अप्रार्थीगण को किसी तरीके से कोई हक अधिकार पैदा न हो ऐसा आदेश फरमावें। प्रार्थी से अप्राथीगण ने बहला फसलाकर प्रकाश के पक्ष मे जो गोदनामा करवाया है उक्त गोदानामे को ही निरस्त फरमावें। अप्रार्थीगण से मुकदमे के विचारण के दौरान जब तक गोदनामा निरस्त नही होता है तब तक अप्रार्थीगण से प्रार्थी को रहने, बिजली पाली, दान दक्षिणा हेतु कम से कम 18,000/– रूपये प्रतिमाह दिलाये जावें।

Rahul
उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

6. अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता का मान सम्मान करता है उन्हे अपने साथ रखना चाहता है। एवं उनका भरण पोषण करना चाहता है किन्तु प्रार्थी स्वयं की हठधर्मिता के कारण वह अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहवास नही करता है न ही प्रार्थी के एन्दलावास मे स्थित मकान मे रहवास करने देता हैं। वह स्वयं अपनी कृषि भुमि का कार्य कर आय अर्जित करता है उसमे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कभी दखलन्दाजी नही की। प्रार्थी अपने भाई वेनाराम के बहकावे मे आकर सम्पत्ति हड़पने की नियम से अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ गलत व झूठी कार्यवाही प्रस्तुत करवाई गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के साथ प्रार्थी रहना चाहता है तो वह अपनी नौकरी छोड़कर एन्दलावांस मे आकर रहने को तैयार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भुमि पर काश्त करने को भी तैयार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को गोदनामा निष्पादित कर वर्ष 2016 मे गोद लिया था किन्तु यह गलत है कि अप्रार्थी के प्राकृतिक पिता चेलाराम एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी सोनीया ने मिलकर प्रार्थी को भरण पोषण, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था करके बड़ी बड़ी बाते करके गोदनामा लेने हेतु उत्साहित किया हो अपितु प्रार्थी वर्ष 2006 से अप्रार्थीगण के मकान मे रहवास करते थे एवं उनका भरण पोषण भी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा किया जाता था। प्रार्थी के कृषि भुमि खसरा नम्बर 1061/315 रकबा 10 बीघा मे से एक चौथाई हिस्सा एवं खसरा नम्बर 797/315 रकबा 15 बीघा व खसरा नम्बर 950/315 रकबा 15 बीघा व खसरा नम्बर 950/344 रकबा 2.10 बीघा आया हुआ हैं जिस पर प्रार्थी के मालिकाना हिस्से पर प्रार्थी स्वयं द्वारा काश्त करवाकर उसकी कमाई प्राप्त कर रहा है। उक्त प्रार्थी की भुमि पर अप्रार्थीगण का कोई काश्त नहीं है न ही अप्रार्थीगण द्वारा उनको काश्त करने से रोका गया हैं। आबादी गांव एन्दलावास मे एक मकान प्रार्थी का आया हुआ है। जिस पर उसके भाई वेनाराम ने कब्जा कर लिया है। अप्रार्थीगण को जानकारी हुई है कि वेनाराम द्वारा अपने नाम का पट्टा बना दिया है। प्रार्थी वरदाराम वर्तमान मे वेनाराम के यहा ही आता जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का गोदी पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता का भरण पोषण करने हेतु तैयार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 वर्तमान मे अहमदाबाद मे रहता है एवं नो लिमिट एन.एक्स मे 10,000/– रूपये प्रतिमाह से नौकरी करता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने पिता को अपने साथ अहमदाबाद ले जाने को तैयार हैं एवं उसकी सेवा चाकरी करने को भी तैयार है।

7. बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी की पुत्र वधु है। तथा अप्रार्थी संख्या 3 प्रार्थी का छोटा भाई है। प्रार्थी की समस्त भरण पोषण कि जिम्मेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 की बनती है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 प्रकाश के नाम का गोदनामा करवाया है जिसको प्रार्थी निरस्त करवाने चाहते है एवं अन्य राजस्व भुमि बाबत प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे इस संबंध मे चाराजोही करें। प्रार्थी की वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 की आर्थित स्थिति को देखते हुये यह आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी का यदि बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाता नहीं हो तो खाता खुलवा कर प्रति माह अप्रार्थी संख्या एक 3,000/– अक्षरे रूपये तीन हजार रूपयें मासिक बतौर भरण–पोषण के जमा करवावें। बैंक/पोस्ट ऑफिस में उक्त राशि जमा करवा कर रसीद अपने पास बतौर सबूत रखें। आदेश की

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

अवहेलना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जा सकेगी।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली

Rah

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

यह आदेश आज दिनांक 16–01–2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rah

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.02.12 16:26:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: